

यू0ओ0नोट

विषय : निरीक्षण विभाग के आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालनायें भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 16.08.2018 एवं इससे पूर्व की ऑडिट कमेटी बैठकों में आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की अनुपालनायें लम्बी अवधि से बकाया होने को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प आयोजित कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु निदेशक, निरीक्षण विभाग में दिनांक 08.10.2018 को कैम्प का आयोजन तय किया गया था। किन्तु वांछित अनुपालनायें नहीं भिजवाने से कैम्प का आयोजन स्थगित कराना पड़ा, जो खेदजनक है।

अतः इस संबंध में आपकी शाखा से सम्बन्धित बकाया आक्षेपों की आक्षेपानुसार ठोस अनुपालना तैयार कर अनुपालनायें अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें, ताकि प्रस्तावित आगामी कैम्प में अधिक से अधिक बकाया आक्षेपों का निस्तारण हो सके। आप द्वारा वांछित अनुपालनायें उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

५०
(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

मुख्यालय, जयपुर।

यू0ओ0नोट क्रमांक : प.3(iv)/आकृ/लेखा/आ.जा./2014-15 /15/8-19

जयपुर, दिनांक : 27-6-2019

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त महोदय, आयुक्तालय, कृषि विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित शाखाओं से कृपया आप अपने स्तर से भी बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
- 3- ACP को भेजकर लेख है कि उक्त यू0ओ0नोट को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

५०
वित्तीय सलाहकार, कृषि